**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर शिक्षा विभाग

राज्‍य सभा

तारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 295

उत्‍तर देने की तारीख: 28 जुलाई, 2014

**जम्मू और कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री की विशेष छात्रवृत्ति योजना**

**\*295. प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़ः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय को जम्मू और कश्मीर में प्रधान मंत्री की विशेष छात्रवृत्ति योजना के दोषपूर्ण क्रियान्वयन के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इन शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार की क्या योजना है?

**उत्‍तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्री**

**(श्रीमती स्‍मृति ज़ूबिन इरानी)**

(क) और (ख): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

**‘जम्मू और कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री की विशेष छात्रवृत्ति योजना’ के संबंध में माननीय सांसद प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़ द्वारा दिनांक 28.07.2014 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न सं. 295 के भाग (क) और (ख) के उत्‍तर में उल्लिखित विवरण।**

(क) और (ख): जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना के कार्यान्‍वयन हेतु अनेक अभ्‍यावेदन/सुझाव प्राप्‍त हुए हैं तथा कई वर्षों से योजना के सुचारू और प्रभावी कार्यान्‍वयन के लिए निम्‍नलिखित कदम उठाए गए हैं:

* योजना की निगरानी और सुचारू कार्यान्‍वयन के लिए सचिव (उच्‍चतर शिक्षा) की अध्‍यक्षता में अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया गया है। आज की तिथि तक अंतर-मंत्रालयी समिति की 11 बैठकें हुईं हैं।
* जम्‍मू और कश्‍मीर सरकार योजना के कार्यान्‍वयन से पूर्ण रूप से जुड़ी हुई है। सचिव (उच्‍चतर शिक्षा), जम्‍मू और कश्‍मीर सरकार को अंतर-मंत्रालयी समिति के विशेष आमंत्रिती के रूप में सहयोजित किया गया है।
* योजना का कार्यान्‍वयन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) को सौंपा गया है।
* पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एआईसीटीई द्वारा एक वेब-पोर्टल तैयार किया गया है और छात्रों को पोर्टल के माध्‍यम से ऑन-लाइन आवेदन करना अपेक्षित है।
* अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने जागरूकता लाने के लिए कार्याशालाओं का आयोजन किया है।
* नवीकरण मामलों में छात्रवृत्ति जारी करने में विलम्‍ब रोकने के लिए एआईसीटीई को 50 प्रतिशत राशि अग्रिम दी जाती है।
* संस्‍थानों द्वारा अपने दावे प्रस्‍तुत करने को सुविधाजनक बनाने के लिए मानक प्रपत्र तैयार किए गए हैं।
* जम्‍मू और कश्‍मीर राज्‍य सरकार ने मंत्रालय को सूचित किया है कि ऐसी कुछ रिपोर्टें मिली हैं कि कुछ गैर-सरकारी संगठन जम्‍मू और कश्‍मीर के छात्रों को गुमराह कर रहे हैं और राज्‍य सरकार ने राज्‍य पुलिस की अपराध शाखा को इस आरोप की जांच के निदेश दिए हैं।

**\*\*\*\*\***